अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

1

न्यायालय उपायुक्त, राँची

दा० खा० पुनरीक्षण वाद सं० 60 आर० 15/2013–14

36
11.09.2023

1. दिलीप कुमार चौरसिया पिता स्व० सरजु मोदी
2. लक्ष्मी नारायण चौरसिया पिता स्व० श्याम मोदी
3. श्रीमती सविता देवी पति–मुन्नीलाल चौरसिया, निवासी ग्राम गिंजो ठाकुरगाँव थाना–बुढमू, जिला–राँची ..... प्रार्थी

बनाम

स्व० कामेश्वर मोदी, पिता स्व० भागीरथ मोदी,

द्वारा प्रतिस्थापित कानूनी प्रतिनिधि

1. अहिल्या देवी पति स्व० कामेश्वर मोदी
2. विजय कृष्ण कुमार पिता स्व० कामेश्वर मोदी

निवासी ग्राम गिंजो ठाकुरगाँव, थाना–बुढ़मू, जिला–राँची ..... उत्तरवादी

आदेश

प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद प्रार्थी ने विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर, राँची के द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद सं० 20 आर० 15/2012–13 मे पारित आदेश दिनांक 02.11.2013 के खिलाफ दायर किया है, जिसके अन्तर्गत विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता राँची ने उत्तरवादी के द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त अपील का स्वीकृत करते हुए अँचल अधिकारी बुढ़मू राँची द्वारा दाखिल खारिज वाद संख्या–04 आर० 27/2011–12 में दिनांक 21.04.2011 को पारित आदेश को निरस्त कर दिया, जिसके तहत्त विद्वान अँचल अधिकारी बुढमू ने मौजा– गिंजो ठाकुरगाँव, थाना सं०–86, खाता सं0–300, प्लॉट सं०–3010, 3011 एवं 3009, रकबा क्रमशः –0.03 ए०, 0.05 $^{1}/_{4}$ ए० एवं 0.01 $^{1}/_{2}$ कुल रकबा 0.09 $^{3}/_{4}$ एकड़ भूमि का नामान्तरण प्रार्थी सं० 3 श्रीमती सविता देवी पति–मुन्नी लाल चौरसीया, ग्राम–गिंजो, ठाकुरगांव, थाना–बुढ़मु, जिला–राँची के पक्ष

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

मे स्वीकृत किया गया था।

प्रार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना । प्रार्थी के द्वारा लिखित बहस भी समर्पित किया गया है। प्रार्थी के अनुसार – मौजा–गिंजो ठाकुरगाँव, थाना सं०–86, जिला राँची के खाता सं०–300, भूमि आर० एस० खतियान में हरिचरण मोदी एवं भागीरथी मोदी, दोनों पिता– बैजनाथ मोदी के नाम से दर्ज है। उपरोक्त खतियानी रैयत के मध्य हुए आपसी बंटवारा में प्रश्नगत भूमि भागीरथी मोदी को उनके हिस्से में प्रदान की गई। भागीरथी मोदी की दो पत्नियाँ थी। प्रथम पत्नी मानु देवी से तीन पुत्र 1. मदन मोहन मोदी, 2. सरजु मोदी, एवं 3. श्याम मोदी हुए एवं द्वितीय पत्नी जीतन देवी से एक पुत्र कामेश्वर मोदी हुए। इस प्रकार भागीरथी मोदी अपने पीछे चार पुत्र 1. मदन मोहन मोदी, 2. सरजु मोदी, एवं 3. श्याम मोदी एवं 4. कामेश्वर मोदी (उत्तरवादी) को छोड़कर स्वर्गवास हो गये। इसके पश्चात् भागीरथी मोदी के उक्त पुत्रों मे मध्य हुए आपसी बंटवारे में प्रश्नगत भूमि संयुक्त रूप से सरजु मोदी एवं श्याम मोदी को उनके हिस्से मे प्रदान की गई। सरजु मोदी अपने एकमात्र पुत्र दिलीप कुमार चौरसिया (प्रार्थी सं० 1) छोड़ गये, जबकि उपरोक्त श्याम मोदी अपने पीछे एकमात्र पुत्र लक्ष्मी नारायण चौरसिया (प्रार्थी सं० 2) को छोड़कर स्वर्गवास हो गये। सरजु मोदी एवं श्याम मोदी की मृत्यु के पश्चात् प्रार्थी संख्या 01 एवं 02 उनके वैध उत्तराधिकारी हाने के नाते, विरासत मे प्राप्त उपरोक्त भूमि मधे प्रश्नगत भूमि अर्थात मौजा– गिंजो ठाकुरगाँव, थाना सं०–86, खाता सं0–300, प्लॉट सं०–3010, 3011 एवं 3009, रकबा क्रमशः –0.03 ए०, 0.05 $^{1}/_{4}$ ए० एवं 0.01 $^{1}/_{2}$ कुल रकबा 0.09 $^{3}/_{4}$ एकड़ भूमि को संयुक्त रूप से निबंधित विक्रय पत्र सं० 4747 दिनांक 07.03.2011 द्वारा प्रार्थी सं०–03. श्रीमती सविता देवी पति श्री मुन्नालाल चौरसिया को हस्तांतरित कर दिया।

उपरोक्त खरीदगी के पश्चात् प्रार्थी सं० 3 श्रीमति सविता देवी प्रश्नगत भूमि पर दखलकार हुई तथा इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत घर बना कर उसमे निवास करने लगी। यह स्थापित सिद्धान्त है कि दाखिल खारिज वाद का मुख्य बिन्दु आवेदित भूमि पर आवेदक का दखल होता है। इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत हल्का कर्मचारी एवं अँचल निरीक्षक के द्वारा किये गये जॉच के दौरान प्रार्थी सं० 3 उक्त भूमि पर दखलकार पाई गई तथा प्रार्थी सं० 3 के उपरोक्त भूमि पर प्राप्त दखल के आधार पर अँचलाधिकारी बुढमू के द्वारा प्रश्नगत भूमि

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

का नामांतरण दाखिल खारिज वाद संख्या–4 आर० 27/2011–12 द्वारा स्वीकृत किया गया।

उत्तरवादी कामेश्वर मोदी, खतियानी रैयत भागीरथी मोदी द्वारा छोडी, गई सम्पत्ति मे से मात्र 1/5 वाँ हिस्सा सम्पति के हकदार हुए। उत्तरवादी का दावा अवैध कागजातो के आधरित है। भागीरथी मोदी द्वारा जीतन देवी को दान–पत्र से हस्तान्तरित भूमि अवैध है, क्योंकि भागीरथी मोदी को संयुक्त सम्पति को अपने दूसरी पत्नी जीतन देवी को हस्तान्तरित करने का अधिकार प्राप्त नही था।

उत्तरवादी स्वयं उपस्थित कर प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद मे बहस किया तथा उनके द्वारा लिखित बहस भी समर्पित किया गया है। उत्तरवादी के अनुसार खतियानी रैयत भागीरथ मोदी ने निबंधित दान–पत्र सं० 9820, दिनांक 09.12.1969 द्वारा वादग्रस्त भूमि को उनकी दादी जीतन देवी के पक्ष मे हस्तान्तरित कर दिया। तत्पश्चात् जीतन देवी वादग्रस्त भूमि पर दखलकार होकर अंचल कार्यालय बुड़मू में अपने नाम से नामान्तरण हेतु दाखिल खारिज वाद संख्या–35/75–76 दायर किया, जिसे अंचलाधिकारी बुढमू के द्वारा खारिज कर दिया गया। उक्त नामान्तरण वाद में पारित आदेश के विरूद्ध जीतन देवी ने उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, सदर, राँची के न्यायालय में अपील वाद सं0–4 आर० 15/76–77 दायर किया, जिसे विद्वान उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, सदर, राँची ने आदेश दिनांक – 26.12.1977 के द्वारा स्वीकार करते हुए प्रश्नगत भूमि का नामान्तरण जीतन देवी के पक्ष का आदेश पारित किया गया। तद्नुसार प्रश्नगत भूमि की जमाबंदी पंजी–।। में जीतन देवी के नाम से कायम की गई।

उभय पक्ष को सुना। अभिलेख के समग्र अवलोकन से विदित होता है कि प्रार्थी का दावा है कि प्रार्थी सं० 01 एवं 02 खतियानी रैयत भागीरथी मोदी के वैध उत्तराधिकारी है तथा उन्होने अपने हिस्से की भूमि को संयुक्त रूप से निबंधित विक्रय पत्र सं० 4747 दिनांक 07.03.2011 द्वारा प्रार्थी सं०–03 श्रीमती सविता देवी पति श्री मुन्नालाल चौरसिया के पक्ष मे हस्तांतरित कर दिया, जबकि उत्तरवादी का दावा है कि खतियानी रैयत भागीरथ मोदी ने निबंधित दान–पत्र सं० 9820, दिनांक 09.12.1969 द्वारा प्रश्नगत भूमि को उनकी दादी जीतन देवी के पक्ष मे हस्तान्तरित कर दिया एवं तत्पश्चात् उक्त भूमि का नामान्तरण वर्ष 1977 ई० जीतन देवी के नाम से स्वीकृत है।

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3
	4	

उपरोक्त तथ्यों से विदित होता है कि प्रश्नगत भूमि का हस्तांतरण स्वयं खतियानी रैयत के द्वारा वर्ष 1969 ई० मे किया गया है, जिसका नामान्तरण वर्ष 1977 ई० मे स्वीकृत होकर जमाबंदी उत्तरवादी के पूर्वज जीतन देवी के नाम से संधारित है, ऐसी स्थिति मे उसी भूमि का प्रार्थी सं० 3 के नाम से पुनः नामान्तरण होना विधि सम्मत नही है। प्रार्थी का उपरोक्त दावा प्रश्नगत भूमि के स्वत्व, हित, अधिकार एवं निष्पादित पट्टे के अवैध एवं शुन्य घोषित करने से संबंधित है, जिसका न्यायिक निर्णय किसी राजस्व न्यायालय द्वारा एक सरांश कार्यवाही (summary proceeding) नही किया जा सकता है।

अतः प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद खारिज किया जाता है तथा उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, सदर, रॉची के द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद सं० 20 आर० 15/2012–13 मे पारित आदेश दिनांक 02.11.2013 को पारित आदेश को पारित आदेश बहाल रखा जाता है। प्रार्थी यदि चाहे तो प्रश्नगत भूमि पर अपना हक, स्वत्वाधिकार, दखल इत्यादि की घोषणा सक्षम न्यायालय से कराने हेतु वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है।

इस आदेश की प्रति भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सदर, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित करे।

उपायुक्त
रॉची

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त
रॉची

Digitally signed by RAHUL KUMAR SINHA
Date: 2023.11.23 02:06:28 -08:00
Location: 192.168.1.4